URGENT

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(47)/ग्राविवि–5/पीएमएवाई–जी/एम–1/हुडको/2017–18 जयपुर, दिनांक 17/08/20

जिला कलक्टर
जिला समस्त । (सीकर एवं झुझुनूं को छोडकर)

विषय :– मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना के स्वीकृत आवासों में पूर्ण होने योग्य अवगत कराये गये आवासों हेतु लाभार्थीवार आवश्यक राशि के आंकलन बाबत् ।

मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 से वर्ष 2013–14 तक आवास स्वीकृत किये गये थे इस हेतु जिला परिषदों द्वारा राज्य सरकार की प्रतिभूति पर हडको से ऋण लिया गया था। उक्त योजना के अन्तर्गत स्वीकृत आवासों में से वर्तमान में भी आवास अपूर्ण/प्रगतिरत है। जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य में योजनान्तर्गत 33053 आवास अपूर्ण/प्रगतिरत अवगत कराये गये है, जिनमें से 10465 आवास ही पूर्ण होने योग्य है शेष 22588 आवास विभिन्न कारणों से पूर्ण नहीं होना अवगत कराया गया है।

उक्तानुसार जिलों द्वारा हडको से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय फेज में ऋण के रूप में हडको से निर्गमित राशि एवं उस पर प्राप्त ब्याज में से निर्मित /प्रगतिरत आवासों हेतु जारी किश्तों की राशि उपरान्त उपलब्ध/अवशेष राशि एवं अर्जित ब्याज की राशि सहित कुल उपलब्ध राशि की सूचना प्रेषित करावे।

उक्त संबंध में योजनान्तर्गत हडको से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय फेज की उक्तानुसार उपलब्ध राशि के कम में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय फेज में स्वीकृत, प्रगतिरत पूर्ण होने योग्य आवासो के लिए देय किश्त हेतु आवश्यक राशि की गणना कर निम्न प्रारूप में सूचना दिनांक 25.8.21 तक आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करावे।

क. सं.	फेज/स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत आवास	पूर्ण आवास	प्रगतिरत/बंद आवास	प्रगतिरत/बंद आवासों में से पूर्ण होने योग्य आवासों की संख्या	पूर्ण होने योग्य आवासों को पूर्ण कराने हेतु हेतु राशि की गणना			योजनान्तर्गत उपलब्ध राशि राशि लाखों मे)			जिले के पास उपलब्ध अतिरिक्त राशि
						द्वितीय किश्त हेतु	तृतीय किश्त हेतु	कुल राशि	मूल राशि	ब्याज	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-9
	2011-12											
	2012-13											
	2013-14											

(अपर्णा अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव

992

क्रमांक एफ 27(47)/ग्राविवि–5/पीएमएवाई–जी/एम–1/हुडको/2017–18 जयपुर, दिनांक 17/08/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त (सीकर एवं झुझुनूं को छोडकर)

अधीक्षण अभियंता, ग्रावि